

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 442 / 2023 दिनांक : 13.02.2023

श्री राकेश कटारा (RJ0282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 16.01.2023 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 17.01.2023 से 21.01.2023 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 22.01.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति ।

श्री कटारा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई।


आज्ञा से

10.02.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/43/1996/1065

दिनांक 13.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 31 दिनांक 23.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री राकेश कटारा (RJ0282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा ।


13.2.2023
सहायक रजिस्ट्रार